



षोडश

बिहार विधान-सभा

द्वितीय सत्र

तारांकित प्रश्न

वर्ग-1

सोमवार, तिथि 15 मई, 1938 (शु)
04 अप्रैल, 2016 (शु)

प्रश्नों की कुल संख्या 50

(1) गृह विभाग	-	-	32
(2) मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	-	-	03
(3) उद्योग विभाग	-	-	03
(4) विद्युत विभाग	-	-	07
(5) सामान्य प्रशासन विभाग	-	-	01
(6) गन्ना उद्योग विभाग	-	-	02
(7) निगरानी विभाग	-	-	01
(8) सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग	-	-	01

कुल योग — 50

उपलब्ध करना

*क'-*1754. श्री विजेश कुमार—क्या संत्री, गृह विभाग, यह बतलाने को कृपा करें कि—

(1) क्या यह बात सही है कि जाले विधान-सभा अस्थापित जाले प्रखण्ड मुख्यालय में एक श्री फापर ब्रिगेड की गाड़ी उपलब्ध नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि अणु लगने पर फापर ब्रिगेड की गाड़ी जाले मुख्यालय से 45 कि० मी० दूर परभंगा से जाती है ;

(3) क्या यह बात सही है कि परभंगा से अणु में फापर ब्रिगेड को गाड़ी को 1 घंटे से भी अधिक का समय लगता है, तबतक सब कुछ जलकर राख हो जाता है ;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार कम-से-कम एक फापर ब्रिगेड को गाड़ी जाले प्रखण्ड मुख्यालय में उपलब्ध करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

रिक्त पर्तों को भंग

*ख'-*1902. श्री रत्न पासवान—क्या संत्री, गृह विभाग, यह बतलाने को कृपा करें कि—

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य में कुल 70 हजार आरक्षी बल हैं, जिसमें 4,320 अनुसूचित जाति एवं 1,120 अनुसूचित जन-जाति का आरक्षी बल है ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य में अनुसूचित जाति के 16 प्रविशत एवं अनुसूचित जन-जाति के एक प्रतिशत आक्षण का प्रावधान है ;

(3) क्या यह बात सही है कि अनुसूचित जाति के 4,780 आरक्षी बल एवं अनुसूचित जन-जाति के 5,880 आरक्षी बल रिक्त हैं ;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार विशेष अभियान चलाकर सेक्टर के अनुसार उक्त रिक्त पर्तों को भंगने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कारवाई करना

*2768. श्री (मौ.) जावेद—हिन्दी समाचार-पत्र के दिनांक 3 मार्च, 2016 को प्रकाशित "डॉक्टो से भयभीत रिटायर्ड वायरलेस इंस्पेक्टर के पूरे परिवार ने छोड़ कर" नामक शीर्षक के आधा पर क्या संत्री, गृह विभाग, यह बतलाने को कृपा करें कि—

(1) क्या यह बात सही है कि भटनाग विलासगत फूलवारी शरीफ के मोहसा गाँव के ठम्मान नगर कॉलोनी निवासी रिटायर्ड वायरलेस इंस्पेक्टर नसीर अंसारी, के घर में दिनांक 6 फरवरी, 2016 को भीषण डकैती हुई जिसमें डॉक्टो ने 1.5 लाख नगद एवं लखों का जेवर लूट कर ले गये हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त डॉक्टो के पश्चात् पूरा परिवार पहरात में है एवं पूरा परिवार ने घर छोड़ दिया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त मामला की बराबरी एवं उक्त परिवार को भय से मुक्ति कराने हेतु कौन-सी कारवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नोट—'क'-दिनांक 18 मार्च, 2016 को सदन द्वारा गृह विभाग को स्थानांतरित।

'ख'-दिनांक 21 मार्च, 2016 को सदन द्वारा स्वीकृत।

सरकारी नौकरी देने

*2769. श्री अजीत शर्मा—क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत बाहु प्रखंड को अक्षमलगाँव थाना क्षेत्र में कमरा गाँव को सामने दिनांक 16 जुलाई, 1999 को गंगा नदी में हुई बाढ़ दुर्घटना में श्री रामचन्द्र मिश्र, चन्देश्वर राय, शिवबल्लभ राय, देवेन्द्र राय सहित 24 व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी थी, जिसमें प्राथमिक मुक्त पत्रिकाओं को 50 हजार रुपये मिली है लेकिन तत्कालीन माओ मन्त्रिमन्त्री के घोषणापत्रसार प्राथमिक परिवार को सरकारी नौकरी नहीं दी गई है ;

(2) क्या यह बात सही है कि जिलाधिकारी, पटना को पत्रांक 1298, दिनांक 1 मार्च, 2000 द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग को उक्त दुर्घटना में मृत के आश्रितों को निर्दुक्ति के संबंध में पत्र लिखा गया, परन्तु आवश्यक कोई कार्रवाई नहीं हुई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त मृत परिवार के आश्रितों को सरकारी नौकरी देने का कबतक विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*2770. श्री चन्दन कुमार—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत मुसरीधरारी से दूरा हुआ छद्म-स्था टुक को चौर गिरौह द्वारा दिनांक 17 अक्टूबर, 2015 का खण्डिया जिले के असीली थाना के सामने अनु ट्रेडिंग से स्ट्याक द्वारा मना करने के आदेशानुसार बगल के खाली जमीन पर अन्वेलोड कर दिया गया, जिससे संबंधित असीली थाना कांटे 251/15 एवं मुसरीधरारी थाना कांटे 131/15 दर्ज हुआ ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त कांटे में अनु ट्रेडिंग के मालिक उमेश कुमार को व्यक्तिगत स्वार्थ एवं राजनीतिक कारणों से थानाध्यक्ष, असीली द्वारा मनगड़बट बयान एवं साक्षिणों के तहत नामजद अभियुक्त बना दिया गया ;

(3) क्या यह बात सही है कि उन पर पूर्व से कोई आरोप नहीं है, दुकान से सोधी बरामदगी नहीं एवं सुदूर से कभी कोई बातचीत नहीं हुई है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अभियुक्तकरण के बिन्दुओं को उच्चस्तरीय जाँच कराकर उक्त मुकदमों से श्री कुमार को मुक्त कर तत्कालीन थानाध्यक्ष पर कार्रवाई करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

धान में उत्क्रामित करना

*2771. श्री सुमोद राय—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत जोगसर (अ) पी० नं० धाना में उत्क्रामित करने हेतु एम० एम० पी० ने तीन साल पहले प्रस्ताव भेजा है, उक्त प्रस्ताव के आलाोक में अभीतक जोगसर (अ) पी० धाना में उत्क्रामित नहीं किया गया है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार द्वारा अभीतक जोगसर को (अ) पी० से धाना में उत्क्रामित नहीं करने का क्या औचित्य है ?

कजिस्तान की भेराबंदी

*2772. श्री अचमित कृषिदेव—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत रानीगंज प्रखंड के भोरस एवं घमरी गाँव में स्थित कजिस्तान की अबतक भेराबंदी नहीं की गई है, यदि हाँ, तो क्या सरकार वर्तित गाँवों के कजिस्तान की कबतक भेराबंदी करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रतिमा का विभांग

*2773. डॉ० रंजु मीता—क्या मंत्री, सचिवमंडल सचिवालय विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि सोतामण्डो जिलान्तर्गत वातपट्टी प्रखंड के ग्राम-मधुसपुर में अमर शहीद रामफल मंडल की का जन्म हुआ और कर्मभूमि थी री, उनको 1932 के स्वतंत्रता आन्दोलन में फाँसी दी गई ;

(2) क्या यह बात सही है कि वातपट्टी प्रखंड कार्यालय के प्रारण में उनकी स्मृति में आजतक आश्रम का मूर्ति स्थापित नहीं की गई ;

(3) यदि उपयुक्त छाँडों के डगर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक वातपट्टी प्रखंड कार्यालय में उनकी आश्रम का प्रतिमा का विभांग करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

दोषी पर कार्रवाई

*2774. श्री सरोज साठव—क्या मंत्री, निगरानी विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि धोंजपुर जिलातरीय कौबर सिंह कॉलेज के प्रबंध समिति पर अनुदान वितरण में अनियमितता की जाँच हेतु विभागीय पत्रांक 924, दिनांक 18 मार्च, 2015 द्वारा निगरानी समिति का गठन किया गया, किन्तु समिति द्वारा उक्त कॉलेज की अनियमितता की जाँच अभीतक शुरू नहीं की गयी है, यदि हाँ, तो क्या सरकार जाँच कार्य प्रारंभ कराने हेतु दोषी पर कार्रवाई का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चोरी की गिरफ्तारी

*2775. श्री नीरज कुमार—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिलातरीय चमेली प्रखंड में श्री श्री 108 ठाकुरबाड़ी मंदिर से करोड़ों रुपये काँमत की मूर्ति चोरी दो वर्ष पूर्व की गई, लेकिन अभीतक पता नहीं लग पाया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त मूर्तियों की धरामदगी तथा मूर्ति चोरी की गिरफ्तारी कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की भेदबन्दी

*2776. श्री मनोहर प्रसाद सिंह—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के अमदाबाद प्रखंड अन्तर्गत लखनपुर ग्राम पंचायत के इकरा इंगलिश कब्रिस्तान की भेदबन्दी नहीं हुई है, हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की भेदबन्दी का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सेवा शर्तों का निर्धारण

*2777. श्री रामदेव राय—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि उन्म के गृह रक्षा बाहिनी कर्मियों की सेवा शर्तों का निर्धारण नहीं होने के कारण कर्मियों की आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार गृह रक्षा बाहिनी के कर्मियों को पुलिस कर्मियों की तरह सेवा शर्तों का निर्धारण करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अतिक्रमण से मुक्ति

*2778. श्री प्रताप कुमार—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि कार्यपालक अधिन्याय, तिरहुत नगर प्रमोशन, भोतिहारी ने अपने पत्रांक 264, दिनांक 21 मार्च, 2015 द्वारा रातनपुर उप-तन्पु नगर के अतिक्रमणकारियों की सूची के साथ ग्रामीण नक्शा को आपाप्रति अनुमंडल पराम्धिकारी, भोतिहारी को भेजा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि कार्यपालक अधिन्याय, स्वीकृति द्वारा पुनः पत्रांक 341, दिनांक 28 अप्रैल, 2015 द्वारा अतिक्रमण मुक्त करने हेतु स्मरित भी किया गया है ;

(3) क्या यह बात सही है कि उक्त अतिक्रमण से भीरीझील में जल साव नहीं हो पा रहा है ;

(4) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त अतिक्रमण से मुक्त करते हुये सीपी अधिकारी को विरुद्ध कार्रवाई कब तक करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

योजना का लाभ

*2779. श्री श्रीरंजु कुमार मिश्र—क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि सरकार राज्य के गरीब युवकों के सहयोग हेतु युनकर आवास-सह-कार्यपाला एवं क्रेडिट कार्ड देने की योजना वर्ष 2005-06 से चला रही है ;

(2) क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलालगत नवीनगर एवं बालन प्रखंड में गरीब युवकों को अर्धतक आवास-सह-कार्यपाला एवं क्रेडिट कार्ड उपलब्ध नहीं हुआ है ;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार नवीनगर एवं बालन प्रखंड में युवकों को उक्त योजना का लाभ कब तक देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। हस्तकरणा सहकारिता प्रोजेक्ट के युनकरों के साधारण शत-प्रतिशत अनुदान पर कर्मशाला-सह-आवास को योजना वर्ष 2006-7 में राज्य योजनातर्गत चलाया गया। केन्द्र प्रायोजित युनकर क्रेडिट कार्ड की योजना राज्य में वर्ष 2012-13 से कार्यान्वित है।

(2) कर्मशाला-सह-आवास योजना वर्ष 2006-7 के तहत लक्ष (दो) के विरुद्ध औरंगाबाद जिला अन्तर्गत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में एक-एक (कुल दो) कर्मशाला-सह-आवास का निर्माण किया गया है। यह योजना वर्ष 2006-7 के लिए थी। वर्तमान में यह योजना कार्यान्वित नहीं है।

युनकर क्रेडिट कार्ड योजना के तहत औरंगाबाद जिला के नवीनगर प्रखंड के कुल 34 युनकरों को प्रति युनकर 20,000 हजार रुपये से लाभान्वित किया गया है। वर्ष 2015-16 में नवीनगर प्रखंड के 17 युनकरों से प्रथम आवेदन को संबंधित बैंकों को भेजा गया है। बालन प्रखंड के युनकरों से आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

(3) कड़िका (2) में स्पष्ट कर दी गई है।

बाहरी कारीगरी का निर्माण

*2780. श्री. मेधावती—क्या मंत्री, यह विभाग, यह बटलाने को कृपया बतें कि क्या यह बात सही है कि मुंगेर नगर के अन्तर्गत किला रोड पर अज्ञात पीर जफा शाह का मकबरा एवं कब्रिस्तान एवं लक्ष्मी नगर, कच्छरणी रोड का मकबरा एवं कब्रिस्तान को धराशयी नहीं जो गई है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उन कब्रिस्तानों को धूम पर कब्रों को बाहरी कारीगरी करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कारिगरी करना

*2781. श्री. अशोक कुमार—क्या मंत्री, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, यह बटलाने को कृपया बतें कि—

(1) क्या यह बात सही है कि 'बढ़ चला बिहार' अभियान के अन्तर्गत विज्ञान डॉ. सुमन्त, 2025 बनाने का निर्माण। वर्ष पूर्व जे. ए. 20 मई, 2015 को तैयार की एक कम्पनी सिटीजन एलायन्स प्रा. लि. को इसको जिम्मेदारी सौंपी गई :

(2) क्या यह बात सही है कि खंड (1) में वर्णित कम्पनी को इसके लिये 40000 गाँवों में सुसज्जित प्रचार वाहनों से पर्यवेक्षकों व तकनीशियनों के साथ सभाएँ तथा विभिन्न कार्यक्रम करना था, जिसके लिये इस कम्पनी को प्रति सप्ताह 28.33 रुपया नियुक्त पर्यवेक्षकों एवं कर्मियों को क्रमशः 30000 एवं 11756 रु. प्रति माह भुगतान किया जाता था :

(3) क्या यह बात सही है कि उक्त एजेंसी को उसके द्वारा बिना कोई सभा और कोई कार्यक्रम करवाये ही 13 करोड़ 21 लाख रुपया का भुगतान कर दिया गया है :

(4) यदि उपरोक्त सत्रों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इसके लिये दोषी परामर्शियों के खिलाफ कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रश्नकर्ता—(1) आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। अनुमोदित कार्य योजना एवं विधिपरिचय के अनुरूप जी.पी.एस. सुकट टाट एंसी. ACE गठन के द्वारा जन भागीदारी कार्यक्रम में आम जनता के मुँह एवं बिहार जॉइंट के प्रति आमजनों के भागीदारी एवं लोगों को प्रोत्साहित, शिक्षित तथा उनकी समस्याओं के आधार पर Documents का निर्माण हेतु विभाग के सुवीषय पी.आर.एजेंसी में सिटीजन एलायन्स प्रा. लि. (उत्तर प्रदेश) एवं जे.डब्ल्यू.टी. मईन्ड सेट प्रा. लि. (Cocreation) को विभाग द्वारा कार्यविधि निर्गत किया गया।

(2) आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है, अनुमोदित कार्य योजना अनुसार कुल 30073 गाँव एवं 2000 इष्ट गाँव में कार्यक्रम के आयोजन पर होने वाले व्यय का दर प्रति आयोजन रु. 2812 निर्धारित है। कार्यक्रम के अनुकूल एवं पर्यवेक्षण हेतु जिला एवं प्रखंड स्तरीय टीम के सदस्यों का परिभाषित दर क्रमशः 30000 रु., 11756 रु. प्रति माह के आधार पर निर्धारित किया गया। जनभागीदारी कार्यक्रम के अन्तर्गत वार्षिक रूप से किये गये कार्य के आधार पर जिला एवं प्रखंड स्तरीय टीम को भुगतान हुआ है।

(3) स्वीकारात्मक है। जनभागीदारी कार्यक्रम के अन्तर्गत किये गये कार्य के स्वतंत्रपरीक्षण जिला स्तर पर एजेंसी को भुगतान हुआ है। अभी तक एजेंसी को कुल 9,31,64,133 रु. इस कार्यक्रम के अन्तर्गत भुगतान हुआ है।

(4) प्रश्न नहीं उठता है।

कश्मिरान की घेराबंदी

*2782. श्री नन्द कुमार गुप्त--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिलागत मोतीपुर प्रखंड के बंधाएत फतेहा-को-फतेहा कश्मिरान एवं गोपालपुर कश्मिरान की घेराबंदी अभीतक नहीं की गयी है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त कश्मिरान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पुलिस चौकी स्थापित करना

*2783. श्री सुधीर कुमार उर्फ घंटी चौधरी--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि जमुई जिलागत सिकन्दर प्रखंड के महादेव विमर्षिया गाँव में पुलिस चौकी नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त गाँव में पुलिस चौकी नहीं रहने से दो समुदाय में हमेशा संघर्ष होता है एवं सिकन्दर थाना से दूरी 13 किलोमीटर होने के कारण थाना प्रशासन की उक्त गाँव में पहुँचने में समय लागता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त स्थान पर पुलिस चौकी स्थापित कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कश्मिरान की घेराबंदी

*2784. श्री नैमातुल्लाह--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना जिलागत मनेर प्रखंड में हजारों बांधवों को अपनी रहभतुल्लाह अलौह का भकबरा चार सौ वर्ष पुराना है एवं भकबरे के साथ एक बीघा कश्मिरान की भी भूमि है जिसकी घेराबंदी अभीतक नहीं हुई है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त कश्मिरान की घेराबंदी करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

घंघ उपलब्ध करना

*2785. श्री राघव शरण पाण्डेय--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा अग से बंधाएत हेतु प्रत्येक प्रखंड में एक अग्निशामक घंघ रखने का निर्णय वर्ष 2012 में लिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि पश्चिम चम्पारन जिला में प्रखंड स्तर पर अग्निशामक घंघ नहीं है, जबकि बगहा अनुमंडल में मात्र दो अग्निशामक घंघ हैं ;

(3) क्या यह बात सही है कि 10 मार्च, 2016 को बगहा वन क्षेत्र में तथा गाँवों में अगलगी की घटना होने पर अग्निशामक घंघ के कमी के कारण समुचित बंधाएत नहीं किया जा सका है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बगहा नगर तथा जिला के प्रत्येक प्रखंड में अग्निशामक घंघ उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

*2786. श्री प्रकाश राम—क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने को कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि वित्त विभाग के आदेश संख्या 7099, दिनांक 1 अगस्त, 2011 द्वारा मैट्रिक उत्तीर्ण समूह "ब" के कर्मियों को प्रोन्नति देकर निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर प्रस्थापित करने का निर्णय लिया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त आदेश के अन्तर्गत में अबतक सरकारी प्रेस गुलजाराबाग, पटना में कार्यरत मैट्रिक उत्तीर्ण समूह "ब" के कर्मियों को प्रोन्नति देकर निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर प्रोन्नत नहीं किया गया है;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो खंड 2 में वर्णित कर्मियों को प्रोन्नति देकर निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर प्रोन्नत करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पुनः प्रभारी बनने का औचित्य

*2787. श्री सरोज यादव—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने को कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भाँवपुर जिला अन्तर्गत चरघोखरी धामा प्रभारी श्री कृष्ण गुप्ता सहित 7 पुलिस पदाधिकारियों को सुन्दर पतेल एवं प्रिंस बजरंगी छात्र नेताओं के साथ मार-पीट करने के कारण दिनांक 7 दिसम्बर, 2014 को जिला बंदर किया गया था, किन्तु उक्त घरेलू को पुनः एक माह में ही प्रभारी बना दिया गया, यदि हाँ, तो इसका क्या औचित्य है ?

बैंकों की शाखा खोलना

*2788. श्री रंजु गोहा—क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने को कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत धावपट्टी प्रखंड के रसलपुर एवं महिसोधा ग्रामों में किसी भी बैंक की शाखा नहीं है, जबकि इन गाँवों की आबादी 6 हजार से ज्यादा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त स्थानों पर कबतक बैंकों की शाखा खोलवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान को बेराबंदी

*2789. श्री लाल कानू राम—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने को कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत सकरा प्रखंड में मनोहरपट्टी एवं रूपनपट्टी में कब्रिस्तान की बेराबंदी अभी तक नहीं हुई है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त कब्रिस्तान को बेराबंदी कबतक करवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

*2790. श्री अश्विनी कुमिदर—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अरुंधती जिलान्तर्गत रावीराज प्रखंड के मिर्जापुर एवं खौसी गाँवों में स्थित कश्मिरान की अन्धकार घेरावती नहीं की गई है, यदि हाँ, तो क्या सरकार जर्मन गाँवों के कश्मिरान की कानूनक घेरावती लगाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्या ?

अतिक्रमण से मुक्ति

*2791. श्री विलियम गिजारी—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि ए० चम्पारण की बांगीपट्टी प्रखंड अन्तर्गत भन्डरगाँव बाजार स्थित सीरात की जमीन असामयिक तालों के द्वारा अतिक्रमण है, जिसका हर वर्ष डाक होता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार तथा बाजार की अतिक्रमण से मुक्त कर्पातक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्या ?

ओ०पी० भवन बनाना

*2792. श्री रविन्द्र सादर—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि खण्डिया जिलान्तर्गत जखला प्रखंड के भरतराज ओ०पी० के लिये अकाला टोला की निकट एका एकाड जमीन राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा वर्ष 2015 में हस्तान्तरित कर दिखे गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि खाली जमीन हस्तान्तरण के बाद भी ओ०पी० भवन का निर्माण कार्य अभी तक प्रारंभ नहीं हुआ है;

(3) क्या यह बात सही है कि वर्तमान में यह ओ०पी० पंचायत भवन में अस्थायी रूप से चल रहा है;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त जमीन पर ओ०पी० भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कथतक, नहीं, तो क्या ?

पुलिस ओ०पी० खोलना

*2793. श्री सदुल्ला कुमार सादर—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि मुषैल जिलान्तर्गत जिरसपुर प्रखंड का बीच पंचायत पूर्णतः तथा चार पंचायत अधिकांश रूप में बांगी कोसी बन्दबंध के अन्दर अवस्थित है तथा इसी भू-भाग के मध्य से एल०एच० 57 (बिलाचर से पोरबन्दर) गुजरती है, जहाँ सुरक्षा को कोई व्यवस्था नहीं रहने से घंटित घटनाओं के ज्वलित निष्पत्तन में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार एल०एच० 57 पर घाम-आमलपुर कुम्भा में अवस्थित टोल प्लाजा को निकट पुलिस ओ०पी० खोलने का कथतक विचार रखती है, नहीं, तो क्या ?

बैंक की शाखा खोलना

*2794. श्रीमती समस्ता देवी—क्या मंत्री, विद्य विभाग, यह बतलाने कि कृपा करें कि—

(1) क्या यह बात सही है कि गंगा जिलामन्गल बाउण्टी प्रखण्ड के पतालुका गाँव में सरकारी बैंक की कोई शाखा नहीं है;

(2) क्या यह बात सही है कि पतालुका गाँव की आबादी 6 हजार से भी अधिक है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पतालुका गाँव में बैंक की शाखा कब तक खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्या ?

भवन का निर्माण

*2795. श्री विजय कुमार सिन्हा—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करें कि क्या यह बात सही है कि लखीमपुर जिले के बहुरिषा प्रखण्ड के पाला पंचायत में ग्राम-बीरपुर में विगत 30 वर्षों से किराये के मकान में धना चल रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कब तक वहाँ धना भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्या ?

बींचत रखने का औचित्य

*2796. श्रीमती सुनीता सिंह चौहान—क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करें कि—

(1) क्या यह बात सही है कि दिनांक 24 मार्च, 2015 को माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग की अभ्यक्षात आदृत बैठक में गन्ना के 14 प्रपेदों सी०जी० 98014, सी०जी०-0118, सी०जी० 0238, सी०जी० 0239, सी०जी० 0232, सी०जी०पी० 9301, सी०जी०एल०के० 94184, सी०जी०एस० 8432, सी०जी०एस० 8436, सी०जी०पी० 2061, सी०जी०एस० 767, सी०जी० 139, बी०जी० 141 एवं बी०जी० 153 के गन्ना बीजों पर सरकारी अनुदान/प्रोत्साहन का लाभ देने हेतु दिनांक 16 जुलाई, 2015 को विभागीय आदेश जारी किया गया;

(2) क्या यह बात सही है कि गन्ना प्रपेद सी०जी०एस०-8432, सी०जी०एस०-767, सी०जी०पी०-9302, बी०जी०-91, बी०जी०-143, बी०जी०-141, बी०जी०-137, बी०जी०-136, बी०जी०-148, सी०जी०एल०के०-8102, सी०जी०एस०-91269, सी०जी०एस०-92423, सी०जी०एस०-95422, सी०जी०पी०-9206, सी०जी०एस०-8118, बी०जी०-188, सी०जी०-235, सी०जी०-9302 एवं बी०जी०-150 गन्ना प्रपेदों के बीजों पर राज्य सरकार द्वारा अनुदान/प्रोत्साहन के लाभ से 15 दिसम्बर, 2015 से बींचत कर दिया गया है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो 19 प्रपेदों के बीजों को अनुदान/प्रोत्साहन से बींचत रखने का औचित्य क्या है ?

ओ०पी० की पुनर्स्थापना

*2797. श्री अमरेंद्र कुमार पाण्डेय "प०"—क्या सचो, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करें कि क्या यह बात सही है कि सोपौलगाँव जिला के कटैया थाना के आसपास आपराधिक घटनाओं को रोक-थाम हेतु अगस्त माह में एक ओ०पी० वर्ष 1998 में स्थापित की गयी थी, जिसे वर्ष 2008 में समाप्त कर दिने जाने से अन्ततः मायार भ्रूतित इन्-गिर्ट इलाकों में आपराधिक घटनाएँ बढ़ी हुई हैं, यदि हाँ, तो क्या सरकार भवकित में उक्त मायार में ओ०पी० की पुनर्स्थापना करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बैंक की शाखा खोलना

*2798. श्री सुधीर कुमार उर्फ बंटी चौधरी—क्या सचो, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करें कि—

(1) क्या यह बात सही है कि चम्पूई जिल्लातर्गत सिन्दूर प्रखण्ड को गढ़ही पंचायत में सरकारी बैंक नहीं है;

(2) क्या यह बात सही है कि गढ़ही पंचायत की जनसंख्या दस हजार से अधिक है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों को उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार गढ़ही में बैंक को शाखा खोलने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

नागरिक परिषद् का गठन

*2799. श्री सचोन्नु प्रसाद सिंह—क्या सचो, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, यह बतलाने की कृपा करें कि क्या यह बात सही है कि मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रतिवेदन वर्ष 2014-15 के अध्याय 3 के क्रम संख्या 3.6 पर अंकित "बिहार राज्य नागरिक परिषद्" का गठन राज्य स्तर, जिला स्तर तथा थाना स्तर पर करना है; यदि हाँ, तो क्या सरकार पूर्वी चम्पारण जिला स्तर पर तथा कल्याणपुर कोटवा, चोमरिया, चोकिया, पोसा कौडी, पोसा सहित अन्य थानों में नागरिक परिषद् का गठन करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मुआवजा देना

*2800. श्रीमती भुवनेश सिंह चौहान - क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि

(1) क्या यह बात सही है कि नाममाती वा.नाअसपायो घटना में मारे गये आश्रित परिवार को 3 लाख रुपये का मुआवजा देने का सरकारी प्रावधान है;

(2) क्या यह बात सही है कि म्यू० राजकुमार सिंह, पिता-शहाबुद्दय सिंह, ग्राम-भोखट -सोरोसट्टी को इत्या दिनांक 12 दिसम्बर, 2010 को नाअसपायी द्वारा कत्त मी गई, जिसकी प्राथमिकी संख्या 154/10 दर्ज की गयी है;

(3) क्या यह बात सही है कि आश्रित परिवार को अबतक मुआवजा की प्रक्रिया नहीं चली गई है;

(4) यदि उपरोक्त खतों को उतर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त मुक्तक के आश्रित परिवार को मुआवजा देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

घना स्थापित करना

*2801. श्री पुनः किराँत बिन्द - क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(1) क्या यह बात सही है कि कैमूर जिला अन्तर्गत जयसिंह प्रखण्ड तहसील प्रभावित है;

(2) क्या यह बात सही है कि गृह विभाग द्वारा वर्ष 2014-15 में सर्वेक्षण मिलने के बावजूद भी अपौर प्रखण्ड के सारदाग, जाधन खोटा गाँव एवं कटर में घना का निर्माण नहीं हुआ है;

(3) यदि उपरोक्त खतों को उतर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त स्थलों पर घना स्थापित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रोसेसिंग युनिट लगाना

*2802. श्री मुसाहिब आलम - क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह

बात सही है कि किरानगर जिले में मकई व अनामस से संबंधित फूड प्रोसेसिंग युनिट नहीं है, यदि हाँ, तो क्या सरकार किरानगर जिले में मकई एवं अनामस से संबंधित फूड प्रोसेसिंग युनिट लगाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

*2803. श्री नन्द कुमार राय— क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने को कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत मोतीपुर प्रखंड के पुलिस अंचल निरीक्षक कार्यालय का अधिमूलना मोतीपुर पुलिस अंचल निरीक्षक कार्यालय के नाम से हुआ है;

(2) क्या यह बात सही है कि मोतीपुर पुलिस अंचल निरीक्षक कार्यालय को वर्ष 1990 में अधिमूलित होने के बादकुर 4 घंटे तक मोतीपुर प्रखंड में चला जा. परन्तु उक्त कार्यालय वर्ष 1995 में अभीतक वही प्रखंड में चल रहा है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त कार्यालय को पुनः उसके अधिमूलित प्रखंड मोतीपुर में स्थानान्तरित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

रिक्त पट्टों को भरना

*2804. श्री मुताहिर अलाम— क्या मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग, यह बतलाने को कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार के विभिन्न प्रखंडों, अनुमंडलों एवं विभागों में उर्दू अनुवादक का 55 सहायक उर्दू अनुवादक का 96 एवं उर्दू टैकांक का 143 पद रिक्त है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उर्दू अनुवादक, सहायक उर्दू अनुवादक एवं उर्दू टैकांक की रिक्त पट्टों को कथं तक भरने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*2805. श्री मनोहर प्रसाद मिश्र— क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने को कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बरिहार जिला के मन्सारी प्रखंड अन्तर्गत वैशनाथपुर विपारा में सादरवाज के अंधाधुन पतारिकारी और शानाधुन, सुफोखल की मदद से यहाँ के किसान अदालत के द्वारा पांच वर्षे तकमान को लुटा दिये जाने के कारण सीमा विवाद से लगन की स्थिति बनी रहती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त समस्या का समाधान हेतु कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

रॉशि का भुगतान

*2806. श्री रामोर कुमार महासेठ— क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने को कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार में गन्ना उद्योग विभाग ने चीनी मिलों के गन्ना किसानों को 15 प्रतिशत सुर के साथ बकाया भुगतान हेतु आवेदन को मांग की है;

(2) क्या यह बात सही है कि चीनी मिलों पर गन्ना किसानों का 327 करोड़ रुपया बकाया है जिसमें मात्र 30 प्रतिशत ही बकाया का भुगतान किया है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार बिहार के चीनी मिलों पर गन्ना किसानों के बकाया राशि का भुगतान शीघ्र करना चाहती है, यदि हाँ, तो कथं तक, नहीं, तो क्यों ?

उप-कारा का निर्माण

*2807. श्रीमती लंशी सिंह क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वांचल विद्या के भवनका अनुमंडल में अनुमंडलीय न्यायालय के स्थापना परन्तु उप-कारा का निर्माण नहीं हुआ है, यदि हाँ, तो क्या सरकार भवनका में अनुमंडल उप-कारा का निर्माण करने का विचार कब तक रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मासिक लक्ष्य के अनुरूप खर्च करना

*2808. श्री निरसिंह खत्री क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि वित्तिय वर्ष 2015-16 के राज्य योजना के 57,137 करोड़ रु० में से 31 दिसम्बर, 2015 तक मात्र 47 प्रतिशत राशि ही खर्च हो पायी है;

(2) क्या यह बात सही है कि 31 दिसम्बर, 2015 तक कब्रिस्तानों की घेरबन्दी तथा पुलिस अधिनियमकरण योजनाओं का कार्यान्वयन करने वाला गृह विभाग ने मात्र 28.92 प्रतिशत अस्पष्टताओं के अधिनियमकरण और इवाई उपकरण जैसी बुनियादी सुविधा उपलब्ध करने वाला स्वास्थ्य विभाग ने मात्र 38.79 प्रतिशत तथा ग्रामीण पंचायतपूर्ति, स्वच्छता और शौचालय निर्माण को जिम्मेवारी संभालने वाला लोक स्वास्थ्य अभिवृद्धि विभाग ने अपने योजना का मात्र 36.39 प्रतिशत ही खर्च किया है;

(3) यदि उपरोक्त उक्त स्वीकार्यमक है, तो योजना राशि को मासिक लक्ष्य के अनुरूप खर्च नहीं करने का क्या औचित्य है ?

कारवाई करना

*2809. श्री लाल राम प्रसाद गुप्त क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि राज भेली नामक चिट फंड कंपनी बिहार में कार्यरत है, जिसका मुख्यालय झारखंड लोक स्टूट गोपरेज बिल्डिंग, कोलकाता में है तथा इसका एक जॉब ऑफिस, अजिमाबाद, पटना बिहार में है;

(2) क्या यह बात सही है कि बिहार के लगभग एक लाख एजेंटों के द्वारा 30 लाख लाभाधिकों का रकम इस चिट फंड कंपनी में जमा किया गया है;

(3) क्या यह बात सही है कि राज भेली चिट फंड कंपनी की अभी तक की सम्पत्ति 500 करोड़ है, जिसमें निवेशकों का पैसा जमा है, परन्तु निवेशकों के द्वारा अपना पैसा जाने पर उसे पैसा वापस नहीं किया जा रहा है;

(4) यदि उपरोक्त खण्डों के उक्त स्वीकार्यमक है, तो क्या सरकार निवेशकों का पैसा वापस करने हेतु कंपनी के निरूद्ध कौन सी कार्रवाई करना चाहती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?

बैंक की शाखा खोलना

*2810. श्री रामवीर प्रसाद त्रिपाठी— क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि सरकार ने 5 हजार की अवधि पर राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा खोलने का निर्णय लिया है;

(2) क्या यह बात सही है कि 170 प्रथम श्रेणी के जोड़के प्रशिक्षित अग्रजगत सरकारी बचत बैंक 10 हजार अवधि के बीच अवस्थित हैं;

(3) यदि उपरोक्त खण्डों के उक्त स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सरकारी बचत बैंक पर राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा खोलने का विचार आश्री है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

अतिरिक्त से मुक्ति

*2811. श्री विनय मिश्रा— क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि 10 प्रथम श्रेणी के जोड़के प्रशिक्षित अग्रजगत, नवलपुर बाजार स्थित रैला की जमीन को असामयिक तथ्यों के द्वारा अतिरिक्त कर दिया गया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उपरोक्त जमीन को अतिरिक्त से मुक्त करवाने का विचार रखती है, हाँ, तो क्यों ?

समस्या का समाधान

*2812. श्री रामावत राय— क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार के पटना, मुंगेर, दरभंगा, भागलपुर, कोसी सहित सभी प्रमंडलों में सपु उद्योग एवं क्यूटीर उद्योग प्रचलित हो चुके हैं;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त उद्योग बंद होने से खाद्य एवं विलास वस्तु बनाने वाले, टैकरी, रस्सी, पेंसा, कपड़े, मिट्टी एवं चीनी मुक्ति, मधुबनी बोटिंग वार्ड एवं गेँ लगे युक्तियों, विलास कलाकारों एवं संबंधित शक्ति प्राप्त कारीगरों के सामने मुश्किलों की भारी समस्या उत्पन्न हो गई है;

(3) यदि उपरोक्त खण्डों के उक्त स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार सपु उद्योग एवं क्यूटीर उद्योगों को बिहार में बढ़ावा देने के लिए उन शक्ति प्राप्त कारीगरों की समस्या का समाधान करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*2813. श्री राम विलास धसवानु—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि आगलपुर जिला के कहलगाँव प्रखंड में घोषा भाग एवं पीरपैठी प्रखंड के आसपासों भाग का भवन नष्ट होने के कारण पुलिस बल को प्रशासनिक कार्यों में काफी कठिनाई होती है;

(2) यदि उपरोक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त भागों के भवन का निर्माण कवायम करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कठिनायन को घटायें

*2814. श्री वार किरणोर प्रसाद—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि कठिहार जग निगम क्षेत्र अन्तर्गत वार्ड संख्या 41 के कोमो थट पथ में सभ्य आसपासों के बीच एक कठिनायन अवस्थित है;

(2) क्या यह बात सही है कि सभ्य आसपासों के बीच कठिनायन अवस्थित होने एवं सीमांकन स्पष्ट नहीं होने से प्रमाण काफी परेशानी हो रही है;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त कठिनायन को घटायें कवायम करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

ओ०पी० का भवन बनना

*2815. श्री ज्ञान जगु राम—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिलागत संसद भाग के हरिधरपुर ओ०पी० का भवन नहीं रहने के कारण पुलिस कार्यों को काफी कठिनाई होती है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त ओ०पी० को अपना भवन नहीं होने से पुलिस कार्यों को हथियार भी असुविधा है;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कवायम उक्त ओ०पी० का अपना भवन निर्माण करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पटना :

दिनांक 4 अप्रैल, 2016 (ई०) ।

रवींद्र कुमार,

प्रभारी सचिव,

चिह्न विभाग-पटना ।